

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00109 (109/2020)

1. राजबहादुर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रमनदीप कौर पत्नी राजबहादुर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदत्तसिंह
2. जगदेव सिंह पुत्र जगसीर सिंह
3. लाभ सिंह पुत्र जगसीर सिंह
4. कुलदीप सिंह पुत्र जगसीर सिंह
5. गुरबक्श सिंह पुत्र जगसीर सिंह
6. बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह
7. बचन सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह
8. धर्म सिंह पुत्र श्री कौल सिंह
9. कर्मसिंह पुत्र श्री कौल सिंह
- 9/1 पिंक्की कौर पुत्री स्व० कर्म सिंह
10. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कौल सिंह
11. सवेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह
12. कुलविन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह
13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र. लक्ष्मण सिंह
- 13/1 परविन्द्र कौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह
- 13/2 गुरलीन कौर पुत्री सुरेन्द्र सिंह
14. जसविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
15. हमीर सिंह पुत्र भगत सिंह

जाति जाटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

16. गुडडी पुत्री श्री गुरदित्त सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (मृतक)
16/1 सिमरजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी अबुलखराना तहसील मलौट जिला मुक्तसर साहिब।
17. सीबो पुत्री श्री गुरदित्त सिंह
18. मलकीत कौर पुत्री गुरदित्त सिंह
19. जसमैल कौर पुत्रीश्री गुरदित्त सिंह
20. गुरदीप कौर पुत्री कौल सिंह
21. महासिंह उर्फ मेहर सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह (मृतक)
21/1 नाजम सिंह पुत्र श्री महासिंह उर्फ मेहर सिंह
21/2 विचित्र सिंह पुत्र. महा सिंह उर्फ मेहर सिंह
21/3 गुरदीप कौर पत्नी श्री महासिंह उर्फ मेहर सिंह
22. जसवीर कौर पुत्री गुरबक्श सिंह
23. परमपाल सिंह पुत्र मु0 सिमरजीत कौर पत्नी प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी सैक्टर नं. 6 वार्ड नं. 40 प्लॉट नं. बी 67 नजदीक पंप हाउस हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
24. मित सिंह पुत्र कृपाल सिंह (मृतक)
24/1 बिशन सिंह पुत्र श्री मित सिंह जाति जटसिख निवासी नया घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
24/2 गुरवीर सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह पुत्र मित सिंह
24/3 गुरविन्द्र कोर पुत्री श्री दर्शन सिंह पुत्र. मित सिंह
24/4 जीना कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह पुत्र मित सिंह
24/5 बलजीत कोर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र मित सिंह
25. रणधीर सिंह पुत्र अमर सिंह
26. दिलावर सिंह पुत्र. रणधीर सिंह
27. जसकरण सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह
28. जसवीर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह
29. गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह

जाति जटसिख निवासी
शाहपीनी तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ

जाति जटसिख निवासी
शाहपीनी तहसील
संगरिया जिला
हनुमानगढ



30. सुखजीत कौर पत्नी विक्रम सिंह
31. गुरदेव सिंह पुत्र श्री बहाल सिंह (मृतक)
31/1 मलकीयत सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह
31/2 बलजीत सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह
31/3 अमरजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी केवल सिंह जाति जटसिख निवासी
पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 31/4 काला सिंह पुत्र श्री जीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
31/5 लखवीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
32. मुख्तार सिंह पुत्र बहाल सिंह
33. करनपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
34. जग्गा सिंह पुत्र जीत सिंह
35. सतपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
36. सुखदेव सिंह पुत्र बग्गा सिंह (मृतक)
36/1 वीरपाल कौर पुत्री सुखदेव सिंह
37. बूटा सिंह पुत्र जंगीर सिंह
38. विक्रम सिंह पुत्र. बलवीर सिंह
39. इकबाल कौर पत्नी करनपाल सिंह
40. बलजिन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ।
41. प्यारा सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी सैक्टर नं. 6 वार्ड नं. 40 प्लॉट
नं. बी 67 नजदीक पंप हाउस हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
42. मलकीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ।
43. विमला पत्नी प्यारेलाल जाति अग्रवाल निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ।
44. गुरदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह } जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
45. बलकौर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह } जिला हनुमानगढ।
46. चरणजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह }



Lehu
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

47. जगवीर सिंह पुत्र रतन सिंह
48. इन्द्र सिंह पुत्र जयमल सिंह
49. चेत सिंह पुत्र जयमल सिंह
50. जीवन सिंह पुत्र जयमल सिंह
51. जीत सिंह पुत्र जयमल सिंह
52. देश कौर बेवा दलीप सिंह
53. अरजन सिंह पुत्र लाल सिंह
54. मेहर सिंह पुत्र लाल सिंह
55. करनैल सिंह पुत्र केहर सिंह
56. जोगेन्द्र सिंह पुत्र केहर सिंह
57. करतार सिंह पुत्र शाम सिंह
58. बन्ता सिंह पुत्र शाम सिंह
59. भान सिंह पुत्र सजन सिंह
60. धन्ना सिंह पुत्र सजन सिंह
61. प्रताप सिंह पुत्र सजन सिंह
62. बन्ता सिंह पुत्र सजन सिंह
63. सन्ता सिंह पुत्र सजन सिंह
64. गुरबचन सिंह पुत्र सरजीत सिंह

जाति जटसिख निवासी
शाहपीनी तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़

64/1 बलविन्द्र सिंह पुत्र. श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

65. कौर सिंह पुत्र सरजीत सिंह (मृतक)
- 65/1 कर्म सिंह पुत्र कौर सिंह
- 65/2 नक्षत्र सिंह पुत्र कौर सिंह
66. चन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह
67. गुरमुख सिंह पुत्र दयाल सिंह
68. हरनाम सिंह पुत्र बिशन सिंह

जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

69. गुरमुख सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

lano
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

69/1 सिरमजीत कौर पुत्री गुरमुख सिंह पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी
रूपाणा तहसील एवं जिला मुक्तसर पंजाब।

69/2 मुखत्यार कौर पत्नी गुरमुख सिंह

70. भगवान कौर पुत्री कृपाल सिंह पत्नी गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दर नगरी,
जीरो नम्बर गली, अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब (मृतक)

70/1 उजागर सिंह पत्र गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दर नगरी गली नं. 0,
अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

70/2 काकड़ी सिंह पुत्र गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दर नगरी गली नं. 0
अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।

70/3 पौला सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दर
नगरी गली नं 0 0 अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।

71. गुरमेल सिंह पुत्र. गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़।

72. जगवीर सिंह पुत्र रतन सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़।

73. सरजीत कौर पुत्री निहाल सिंह (मृतक)

73/1 अमरजीत सिंह पुत्र हरबंशी सिंह जाति जटसिख निवासी कीकर चक तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

73/2 गुरदीप सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी कीकर चक तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

74. जसमेल कौर पुत्री निहाल सिंह (मृतक)

74/1 राम सिंह पुत्र हरी सिंह माता का नाम जसमेल कौर जाति जटसिख निवासी
कमरानी तहसील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

75. गुरजण्ट सिंह पुत्र रणजीत कौर

76. दर्शन कौर पुत्री रणजीत कौर

77. मिन्नी पुत्री रणजीत कौर

78. पाली पुत्री रणजीत कौर

79. बूटा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह

जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़



Lehio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

80. भूप सिंह पुत्र बख्तावर सिंह
 81. अंग्रेज सिंह पुत्र बक्शीश सिंह
 82. मखन सिंह पुत्र बक्शीश सिंह
 83. गुरदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह
 84. हरचन्द सिंह पुत्र मेहर सिंह

जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
 तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

85. लाल सिंह पुत्र नन्द सिंह (मृतक)

85/1 सुख देव सिंह पुत्र लाल सिंह जो अपील मीमो में क्र० सं० 138 पर दर्ज है।

85/2 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री मखन सिंह पुत्र. जगजीत सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह० संगरिया जिला हनुमानगढ।

85/3 अमृतपाल पुत्र श्री करतार सिंह पुत्र लाल सिंह

85/4 गुरसाजन सिंह पुत्र रिछपाल सिंह पुत्र करतार सिंह

85/5 सुखजीत कौर पत्नी रिछपाल सिंह पुत्र करतार सिंह

जाति जटसिख निवासी
 शाहपीनी तहसील
 संगरिया जिला
 हनुमानगढ

86. बहाल सिंह पुत्र नन्द सिंह
 87. महेन्द्र सिंह पुत्र कलवन्त सिंह

88. राज सिंह पुत्र कलवन्त सिंह

89. दलबारा सिंह पुत्र मल सिंह

90. हरबंस सिंह पुत्र मल सिंह

जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील
 संगरिया जिला हनुमानगढ।

91. करतार सिंह पुत्र शेर सिंह (मृतक)

91/1 हजूरसिंह पुत्र. श्री करतार सिंह

91/2 सरजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह

92. नक्षत्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह (मृतक)

92/1 शमशेर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह

92/2 बलदेव सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह

जाति जटसिख निवासी
 शाहपीनी तहसील संगरिया
 जिला हनुमानगढ

93. करनैल सिंह पुत्र कौर सिंह

94. निरंजन सिंह पुत्र कौर सिंह

95. जरनैल सिंह पुत्र फुमण सिंह

96. बलविन्द्र सिंह पुत्र फुमण सिंह

97. साधू सिंह पुत्र फुमण सिंह



98. अजायब सिंह पुत्र हरदम सिंह
 99. नायब सिंह पुत्र हरदम सिंह
 100. दर्शन सिंह पुत्र हरदम सिंह (मृतक)
 100/1 सुखवीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र हरदम सिंह
 100/2 रानी कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र हरदम सिंह
 101. गुरजीत सिंह पुत्र हरदम सिंह
 102. जग्गा सिंह पुत्र जोधा सिंह (मृतक)
 102/1 गुरदीप सिंह पुत्र तार सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र जग्गा सिंह
 102/2 बलविन्द्र सिंह पुत्र राज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र जग्गा सिंह
 103. गुरदेव सिंह पुत्र बहाल सिंह
 104. मुखत्यार सिंह पुत्र बहाल सिंह
 105. स्वरूप सिंह पुत्र. आत्मा सिंह
 106. जगरूप सिंह पुत्र आत्मा सिंह
 107. भूर सिंह पुत्र करनैज सिंह
 108. प्रकाश सिंह पुत्र करनैल सिंह (मृतक)
 108/1 पप्पा सिंह पुत्र प्रकाश सिंह पुत्र करनैल सिंह
 109. साहब सिंह पुत्र करनैल सिंह
 110. नायब सिंह पुत्र करनैल सिंह
 111. रानी पुत्री करनैल सिंह
 112. अमरजीत कौर पत्नी बाबू सिंह
 113. राजेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह
 114. बलजिन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह
 115. गुरमीत कौर पत्नी मलकीत सिंह
 116. कुलविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह
 117. हरवीर कौर पुत्री मलकीत सिंह
 118. शेर सिंह पुत्र जीवन सिंह
 119. मखन सिंह पुत्र भाग सिंह (मृतक)
 119/1 फलेल सिंह पुत्र मखन सिंह पुत्र भाग सिंह

जाति जटसिख निवासी
 शाहपीनी तहसील
 संगरिया, जिला
 हनुमानगढ



120. टेक सिंह पुत्र. भाग सिंह
 121. तार सिंह पुत्र. जीवन सिंह
 122. दलीप कौर जोजा मुखयार सिंह
 123. गुरदेव कौर पत्नी करतार सिंह
 124. दसौदा सिंह पुत्र भाग सिंह
 125. सुखदेव सिंह पुत्र लाल सिंह
 126. दर्शन सिंह पुत्र बलवीर सिंह
 127. प्रेम कौर पुत्री जग्गा सिंह
 128. जीत कौर पुत्री बग्गा सिंह (मृतक)

जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

128/1 इन्द्रजीत कौर पुत्री जीत कौर पत्नी आयूब सिंह पुत्री बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 18 ए.एम.पी. शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

129. तेज कौर पत्नी महेन्द्र सिंह
 130. गुरदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
 131. हरदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

132. वीरपाल कौर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 27 नीट स्ट्रीट महना चौक बटिण्डा तहसील व जिला बटिण्डा पंजाब

133. वीरपाल कौर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी केसर सिंह पुत्री सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी काला टिब्बा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

134. इन्द्रजीत कौर पत्नी गमदूर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
 135. परमदीप सिंह पुत्र गमदूर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह } जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
 136. गगनदीप कौर पुत्री गमदूर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पत्नी अमरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी मानी खेड़ी मलोट जिला मुक्तसर

137. रखी पुत्री सोहन सिंह पत्नी गुरचरण सिंह (मृतक)

137/1 बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दर नगरी, जीरो नम्बर गली, अबोहर तह0 अबोहर जिला फाजिल्का

138. सीता पुत्री सोहन सिंह जाति जटसिखनिवासी चुना फाटक के पास हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ ।

Leho
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ



139. छोटी पुत्री सोहन सिंह पत्नी श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दर नगरी,
जीरो नम्बर गली अबोहर तह0 अबोहर जिला फाजिल्का
140. खुशदीप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नई अनाज मण्डी
तहसील हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
141. रेशम सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति
नायब सिंह पुत्र. चनन सिंह (मृतक) } जाति जटसिख निवासी
142. बलदेव सिंह पुत्र नायब सिंह } शाहपीनी तहसील संगरिया
143. जगदेव सिंह पुत्र नायब सिंह } जिला हनुमानगढ।
144. गुरमेल सिंह पुत्र नायब सिंह }
145. बलकरण सिंह पुत्र नायब सिंह } जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील
146. जसकरण सिंह पुत्र नायब सिंह } संगरिया जिला हनुमानगढ।
147. गुरप्रीत कौर उर्फ अमरजीत कौर पुत्री नायब सिंह पत्नी गुरजण्ट सिंह जाति
जटसिख निवासी मलकोका तहसील व जिला हनुमानगढ।
148. जसविन्द्र कौर उर्फ वीरपाल कौर पुत्री नायब सिंह पत्नी मन्दर सिंह जाति जटसिख
निवासी पक्कासहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
149. कुलविन्द्र कौर उर्फ वीरपाल कौर पुत्री नायब सिंह पत्नी इकबाल सिंह पुत्र सूबा
सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
150. रणजीत कौर पत्नी अजायबसिंह } जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील
151. लखवन्त सिंह पुत्र अजायब सिंह } संगरिया जिला हनुमानगढ
152. रजवन्त सिंह पुत्र अजायब सिंह }
153. सिमरजीत कौर उर्फ किरणदीप कौर पुत्र. अजायबसिंह पत्नी गुरमेल सिंह जाति
जटसिख निवासी ढाणी चक 2 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
154. हरबंश सिंह पुत्र. करनैल सिंह } जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील
155. पप्पी सिंह पुत्र करनैल सिंह } संगरिया जिला हनुमानगढ।
156. करतार कौर पुत्री चनन सिंह } जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील
157. मितो कौर पुत्री चनन सिंह } संगरिया जिला हनुमानगढ।
158. मूर्ति कौर पुत्री चनन सिंह }



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

159. शाखा प्रबन्धक औरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्तमान नाम पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया जिला हनुमानगढ।
160. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया जिला हनुमानगढ।
161. शाखा प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक वर्तमान नाम राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया
162. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा धौलीपाल वर्तमान नाम पंजाब नैशनल बैंक शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
163. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा हनुमानगढ टाउन
164. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान नाम भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
165. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।
166. जोरावर सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
167. जगदीप कौर पुत्री गुरुमुख सिंह पुत्र. कृपाल सिंह निवासी शाहपीनी हाल आबा घुटा (पंजाब)
168. मनदीप सिंह पुत्र विक्रम सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

— प्रत्यर्थागण



अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र० सं० 408/2019 अनवान जगसीर सिंह आदि बनाम हमीर सिंह आदि प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.09.2020 व संशोधित डिक्री दिनांक 09.09.2020

उपस्थिति:-

श्री छगनलाल सिडाना, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अशोक कुमार छोडा, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 8, 10, 11, 14

श्री रमेश चन्द्र जोशी अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं० 30, 39, 178

श्री राजेश दीपराय अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं० 33 व 40

ksr
राजस्थान अपील प्राधिकारी

श्री के.के. गोतम रेस्पो0 सं0 169 व 170

श्री नरेश कुमार अभिभाषक रेस्पो0 सं0 29, 32, 44, 177, 42, 27, 28, 150, 115, 113, 151, 154, 155, 152, 159, 161, 160, 163, 153, 162, 166, 168, 176

श्री रविन्द्र कुमार भोभिया, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 165

निर्णय

दिनांक 11.10.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थागण संख्या 1 ता 14 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 53 के तहत अधिकारों की घोषणा एवं खाता तकसीम का दावा पेश किया, जिसमें कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 15 एम.जे.डी. खाता 90/96 व खाता संख्या 24/29, 39/44, 38/15, 13/11, 93/97 एवं चक नम्बर 14 एम.जे.डी. खाता संख्या 101/104 एवं चक नम्बर 17 एम.जे.डी. खाता संख्या 27/20, 10/9 व चक नम्बर 19 ए.एम.पी. खाता संख्या 76/62, 15/10 व चक नम्बर 21 ए.एम.पी. खाता संख्या 63/61 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने वादपत्र की चरण संख्या 7 के अनुसार कृषि भूमि पर कब्जा होने का कथन करते हुए भूमि उनके नाम से घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 10, 17, 137, 126/2, 126/7, 146, 134/1, 134/2, 134/3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश किया प्रतिवादी संख्या 1, 17, 137, 126/2, 126/3, 126/7 ने जवाब प्रतिदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने उत्तर प्रतिदावा पेश कर प्रतिवादी संख्या 146 का काउण्टर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 148 का उत्तर प्रतिदावा पेश हुआ प्रतिवादी संख्या 2, 6, 10 की और से जरिये अधिवक्ता जवाबबुल जवाब पेश हुआ प्रतिवादी संख्या 63, 64, 65, 126, 132, 134 के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर पक्षकार बनाया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 15, 20, 28, 29, 31 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक किया गया। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया एवं तहसीलीदार राजस्व टिब्बी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़


मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रस्ताव पेश करने का निर्णय पारित किया।

2. वादीगण ने वाद उपखण्ड अधिकारी संगरिया में प्रस्तुत किया था मगर श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 21.06.2017 की अनुपालना में यह पत्रावली उपखण्ड अधिकारी टिब्बी में स्थानान्तरित की गई। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने वाद को प्राथमिक डिक्री किया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में की जिसमें दिनांक 29.05.2018 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण रिमाण्ड करते हुए अपीलाण्ट को काउण्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाने का आदेश दिया तथा अपीलाण्ट का भी निर्देशित किया गया कि अन्य अवसर नहीं दिया जावेगा काउण्टर क्लेम का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए एक माह में पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करने के निर्देश दिये गये थे। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय की पालना में उपखण्ड अधिकारी टिब्बी में प्रकरण पुनः कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पत्रावली प्रार्थना-पत्र आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 151 सीपीसी की बहस हेतु विचाराधीन चल रही थी कि इस बीच श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 11.04.2019 के द्वारा प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादक कायम करते हुए दिनांक 07.09.2020 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया एवं वादीगण का वाद स्वीकार किया एवं दिनांक 09.09.2020 को संशोधित डिक्री पारित की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ता 8, 10, 11, 14, 37, 46, 185, 176, 177, 15, 20, 34, 35, 36, 39, 49, 51, 120, 122, 157, 158, 159, 161, 162, 166, 167, 168, 170 184, के अधिवक्ता उपस्थित आये शेष रेस्पोंडेण्ट के सम्मन अखबार में साया करवाये गये इनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पोंडेण्ट एवं अपीलाण्ट्स के उपस्थित अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कतई गलत व विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं मनमाना होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 हमीर सिंह दिनांक 19.01.2019 को स्वर्गवास हो चुका था उसके वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु कोई

Laxi
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1, 10, 18, 23, 26, 30, 60, 61, 62, 66 102, 113, 123, 125, 127, 128, 130, का दावा दायरी से पूर्व ही निधन हो चुका है। रेस्पोंडेंट ने एक मृतक व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने जगदीप कौर को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये लेकिन फिर भी विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही उसको पक्षकार वाद नहीं बनाया है। वादीगण ने वाद पत्र के सभी प्रतिवादीगण का निवास स्थान शाहपीनी तहसील संगरिया अंकित किया है जबकि वादपत्र के प्रतिवादीगण औरत जात हैं जिनकी अन्यत्र शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादीगण ग्राम शाहपीनी छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं। विचारण न्यायालय ने कौन कौन से विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में अथवा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित किये है इस सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है। राजबहादुर सिंह ने प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी नोहर से अन्यत्र स्थानान्तरण करवाने हेतु जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी नोहर से टिप्पणी मंगवाने का आदेश दिया था लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के पिता के विरुद्ध एवं राजबहादुर सिंह के विरुद्ध रंजिश से निर्णय पारित किया है। कोरोना वायसर के कारण न्यायालयों का कार्य सुचारु रूप से नहीं रहा है इस सम्बन्ध में समय समय पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं राज्य सरकार से दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं लेकिन इस अवधि का विवरण देकर विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को देरिना करने का अभिकथन कर गलत निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 14 को विशिष्ट किले अंकित कर दिये जिसकी विचारण न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन से पहले कृषि भूमि को रहन मुक्त किया जाना आवश्यक है जबकि भूमि विभिन्न बैंक के रहन में रखी हुई है। इससे बैंकों को अपरिमेय क्षति होने का अंदेशा बना रहेगा। हमीरसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि का उपहार पत्र अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 06.09.2016 निष्पादित करवा दिया था वादीगण को इस स्थिति का अच्छी तरह से ज्ञान था फिर भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई गई है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को अगर वादपत्र के अनुसार भूमि मिलती है तो अपीलाण्ट को भूमि नहीं मिल पायेगी अपीलाण्ट अपनी हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त करने से



 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़



वंचित हो जावेंगे। प्रतिवादीगण ने निर्णय एवं डिक्री में दिनांक 08.09.2020 को संशोधन करवाने का अनुतोष चाहा जिस पर वाद पत्र के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अनुतोष स्वीकार कर लिया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

5. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोजेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी कितनी भूमि बनती है और किस प्रकार से वह उक्त डिक्री से प्रभावित है। अपीलाण्ट येनकेन प्रकारेण निर्णय नहीं होने देना चाहता है। सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जमाबंदी के अनुसार पक्षकार संयोजित किये गये थे। प्रतिवादी सं० 1 हमीरसिंह के द्वारा प्रकरण में वादीगण के वाद के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। हमीरसिंह के विरुद्ध किसी प्रकार को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष भी नहीं चाहा गया था।
6. फाईनल बहस में राजबहादुरसिंह व रमनदीप कौर के वकील द्वारा पी०डी० पर कोई भी आपत्ति नहीं की गई अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई भी प्रत्यक्ष अनुतोष चाहा गया। वकील द्वारा केवल राजबहादुर सिंह व रमनदीप कौर के सिर्फ साक्ष्य में फाईल रिमाण्ड में राजबहादुरसिंह व रमनदीप को साक्ष्य का सिर्फ एक मौका 05.06.2018 दिया गया था तब से लेकर 1008.2020 तक फाईल इन्हीं के साक्ष्य पर चलती रही। राजबहादुर सिंह का साक्ष्य हो चुका है और आगे जिरह हो चुकी है जबकि रमनदीप कौर नोहर में कभी भी हाजिर नहीं हुई। इसलिए इस बहस का कोई औचित्य नहीं है।
7. यह एक लम्बित प्रकरण है जो 2007 से चल रहा है जिसमें राजबहादुरसिंह के प्रार्थना-पत्र पर दोबारा फाईल टिब्बी और नोहर में स्थानान्तरित हो चुकी है। दोनों ही तत्कालीन अधिकारियों पर फाईल स्थानान्तरित करने का दोबारा प्रार्थना-पत्र पत्र लगने पर इनका प्रार्थना-पत्र खारिज हो चुका है। पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी में आने पर पूर्व विभाजन प्रकरण अंतिम हो चुका है। उपखण्ड अधिकारी संगरिया में धर्मसिंह की साक्ष्य और उपखण्ड अधिकारी टिब्बी की कोर्ट में जगदेवसिंह के साक्ष्य में 17 डोक्यूमेंट पेश हुए जो सक्षम अधिकारियों द्वारा एक्जिविट हुए हैं और धर्मसिंह व जगदेवसिंह से जिरह भी हुई है। गुरमुखसिंह की जो भूमि विक्रय हुई है उसकी रजिस्ट्री दो बार टिब्बी व नोहर उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक्जिविट हो चुकी है। यह एक लम्बित प्रकरण है जिसमें




 राजस्व अपील प्राधिकारी

राजबहादुर सिंह का उद्देश्य इसका निस्तारण रोकना है रहा है इसमें राजबहादुर, रमनदीप कौर व बचनसिंह और अन्य प्रतिवादीगण या उनको वारिसों का कोई भी हित प्रभावित नहीं होता है। यदि अन्तिम डिक्री हो जाती है तो इस प्रकरण में शीघ्र निस्तारण के लिए 90 दिन दो बार 2017, 2018 में तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा और 1 महीने में निस्तारण के लिए में आदेश हो चुके हैं इसलिए उपपखण्ड अधिकारी के पास जाते ही इस विधि सम्मत शीघ्र निस्तारण किया गया था विभाजन प्रस्ताव के अनुसार शीघ्र अंतिम डिक्री जारी की जानी है। सभी प्रतिवादीगण जो मृतक थे उन्हें प्राप्त सम्मन पर उनके वारिसों पर तामील हुए हैं इस पर उन्होंने या उनके वारिसों द्वारा भी कोई एतराज नहीं किया गया है। कुछ प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार एतराज या प्रतिदावा पेश नहीं करने कुछ के द्वारा अपना हिस्सा अन्यत्र विक्रय करने के कारण प्रकरण में किसी प्रकार का कोई हित नहीं होने के कारण किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। खाता विभाजन के वाद में किसी खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में खाता धारक के अधिकार किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। मृतक खातेदार के वारिसान अपनी कृषि भूमि का खाता तकसीम करवाने के लिए स्वतंत्र है।

8. हमीरसिंह की कृषि भूमि बाबत एक वाद सहायक कलक्टर संगरिया में हमीरसिंह व उसके वारिसान के मध्य 2016 से विवाद चल रहा है। एक ही विवाद विषयवस्तु के संबंध में दो स्थानों पर अलग अलग वाद चलना किसी प्रकार न्यायोचित व विधि सम्मत नहीं है। हमीरसिंह उसने मौखिक रूप से कहा था कि मुझे व मेरे वारिसान को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जावे। हमीरसिंह ने जरिये काउण्टर क्लेम वादी का वाद स्वीकार किया है। हमीरसिंह ने अपनी कृषि भूमि बाबत कोई उपहार वसीयत करवाई है तो उसका हम अप्रार्थीगण से कोई संबंध नहीं है।
9. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशानुसार जगदीप कौर को प्रतिवादी संख्या 147 संयोजित किया जा चुका है उसको जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर भी प्रदान किया गया है। अपीलान्ट ने अपील मिथ्या आधारों पर पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 176 एवं 177 ने बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने का कथनप किया।
11. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।



Law
राजस्व अपील प्राधिकारण

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
13. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोजेण्ट संख्या 1 ता 14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया था। वादीगण ने वाद उपखण्ड अधिकारी संगरिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 21.06.2017 की अनुपालना में यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया से उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को स्थानान्तरित की गई। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2018 को द्वारा वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया एवं तहसीलदार संगरिया को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2018 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकार टिब्बी को रिमाण्ड किया गया कि अपीलाण्ट्स को काउण्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे तथा अपीलाण्ट को भी निर्देशित किया गया की अन्य अवसर नहीं दिया जावेगा काउण्टर क्लेम का विधि अनुसार निस्तार करते हुए एक माह में पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी में आने पर सुनवाई शुरू हुई तब पत्रावली संगरिया दिनांक 31.01.2019 को संगरिया स्थानान्तरित की गई। इसके पश्चात् जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 11.04.2019 को उपखण्ड अधिकारी नोहर को पत्रावली स्थानान्तरित कर दी गई। इस प्रकार पत्रावली बार बार स्थानान्तरित होती रही। मगर अपीलाण्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी कितनी भूमि बनती है और किस प्रकार से वह उक्त डिक्री से प्रभावित है।
14. प्रतिवादी संख्या 17 राजबहादुर एवं प्रतिवादी संख्या 146 रमनदीप कौर ने अपने काउण्टर क्लेम के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड करते समय यह आदेश दिया गया था कि अपीलाण्ट द्वारा नियत दिनांक तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जावेगा साक्ष्य बन्द की जाकर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी तथा काउण्टर क्लेम का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए एक माह में प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।



Long
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 17 राजबहादुर एवं प्रतिवादी संख्या 146 द्वारा अपने काउण्टर क्लेम के पक्ष में किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। अपील स्तर पर भी इनके द्वारा किसी प्रकार साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

15. प्रतिवादी संख्या 17 राजबहादुर ने अपने दादा कृपालसिंह एवं दादी पंजाबकौर की सम्पत्ति में से किसी प्रकार के हकों की घोषणा करवाना चाहता है जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा यह नहीं बताया गया कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद से क्या सम्बन्ध है। यदि यह किसी प्रकार की घोषणा करवाना चाहता है तो अलग से साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद पेश किया जा सकता है। वादीगण के वाद में जरिये काउण्टर क्लेम किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 17 व 146 के अलावा अन्य किसी भी प्रतिवादी को कोई एतराज जाहिर नहीं किया है।

16. जहां तक हमीरसिंह की मृत्यु होने उसके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने का प्रश्न है हमीरसिंह के द्वारा प्रकरण में वादीगण के वाद के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं० 1 हमीरसिंह के विरुद्ध किसी प्रकार को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा गया है। तथा रिमाण्ड करते समय प्रतिवादी संख्या 17 व 146 को ही सुनवाई का अवसर देकर एक माह में निर्णय परित करने के निर्देश दिये गये थे जबकि हमीरसिंह के बारे में सुनवाई का अवसर देने बाबत कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। प्रतिवादी संख्या 10 मितसिंह, प्रतिवादी संख्या 18 गुरदेवसिंह, प्रतिवादी संख्या 23 सुखदेवसिंह प्रतिवादी संख्या 66 रतनसिंह प्रतिवादी संख्या 102 प्रकाशसिंह, प्रतिवादी संख्या 1113 मक्खनसिंह प्रतिवादी संख्या 123 प्रेम कौर प्रतिवादी संख्या 125 जीत कौर प्रतिवादी संख्या 130 गुड्डी पुत्री सोहनसिंह जिनके सम्मन उनके वारिसान पर तामील हुए हैं। प्रतिवादी सं० 66 रतनसिंह के वारिस को जगवीरसिंह को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 64/1 के रूप में संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 62 भगवान कौर, प्रतिवादी संख्या 123 रक्खी पुत्री सोहन सिंह प्रतिवादी संख्या 128 सीता पुत्री सोहनसिंह इनके द्वारा अपना समस्त हिस्सा बेचान किया जा चुका है तथा प्रकरण में किसी प्रकार का कोई एतराज व प्रतिदावा पेश नहीं किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 26 बीवीरकौर के वारिस प्रतिवादी संख्या 25 बूटासिंह है जो रिकार्ड पर है। प्रतिवादी संख्या 30 कर्नेल सिंह के विधिक वारिसान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी संख्या 101 ता 111 तक है जो पूर्व से ही रिकार्ड पर है। प्रतिवादी संख्या 60 व 61 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 17, 146 व 147 हैं जो पूर्व से ही रिकार्ड पर हैं व प्रतिवादी सरजीत के वारिसान के बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है कि उन्हें पक्षकार नहीं बनाने पर किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का एतराज या प्रतिदावा पेश नहीं करने तथा उनमें से कुछ द्वारा अपना समस्त हिस्सा अन्यत्र विक्रय करने के कारण अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के हितों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है।

17. अपीलाण्ट का यह भी आक्षेप है कि राजस्व मण्डल के आदेशानुसार जगदीनप कौर को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में जगदीप कौर को प्रतिवादी संख्या 147 पर संयोजित किया गया है। अतः अपीलाण्ट का यह आक्षेप भी स्वीकार्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
18. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2020 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 09.09.2020 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



karlo
11/10/21
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़